भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1821

13 दिसंबर, 2023 के लिए प्रश्न

संपूर्ण देश में नि:शुल्क राशन वितरण

1821. श्री पी.सी. मोहन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 80 करोड़ राशन कार्डधारकों में से उन राशन कार्डधारकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है जिन्हें कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद निःशुल्क राशन प्राप्त हो रहा है;

(ख) इसके लिए आरक्षित और खर्च की गई निधि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार करने का विचार है जिसके अंतर्गत सरकार सभी राशन कार्डधारकों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए आरक्षित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश भर के अधिकांश राशन कार्डधारक इस बात से अनभिज्ञ हैं कि सरकार उन्हें नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान कर रही है; और

(च) देशभर में सभी राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किए जाने के संबंध में जनता को सूचित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) से (घ): कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यावधान की वजह से गरीबों द्वारा सामना की गई कठिनाई को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित गरीब हितैषी पहल को देखते हुए, इस विभाग ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2022 तक सात (7) चरणों में प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) लागू की थी। इस विभाग ने देश में लगभग 80 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) लाभार्थियों को वितरण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न आवंटित किया था।

...2/-

इसके अलावा, महामारी के बाद से, गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, इस स्कीम के तहत, दिनांक 1 जनवरी 2023 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के तहत चरण-वार वित्तीय परिव्यय नीचे दिया गया है:

पीएमजीकेएवाई	**समयावधि**	**वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में)**
चरण-I (3 माह)	अप्रैल'20-जून'20	44,834 रुपये
चरण-II (5 माह)	जुलाई'20-नवंबर'20	68,351 रुपये
चरण-III (2 माह)	मई'21-जून'21	26,602 रुपये
चरण-IV (5 माह)	जुलाई'21-नवंबर'21	67,266 रुपये
चरण-V (4 माह)	दिसंबर'21-मार्च'22	53,344 रुपये
चरण-VI (6 माह)	अप्रैल'22-सितंबर'22	85,838 रुपये
चरण-VII (3 माह)	अक्टूबर'22-दिसंबर'22	44,763 रुपये
कुल (28 माह)		**3.91 लाख करोड़ रूपये**

इसके अलावा, इस विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान पीएम-जीकेएवाई के तहत डीसीपी राज्यों को जारी किए गए निधियों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

सरकार ने गरीबों को खाद्यान्न तक पहुँच, वहनीयता और उपलब्धता के संदर्भ में पीएमजीकेएवाई के लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए एवं राज्यों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्षों की अवधि के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों (अर्थात अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार और प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच) लाभार्थियों) को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना जारी रखने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा, यह बताया जाता है कि वित्त मंत्रालय ने पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) चरण में 1,97,000 करोड़ रुपये आवंटित किया है। यह भी बताया जाता है कि निधियों का आवंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। पीएमजीकेएवाई के तहत अगले वर्ष के लिए निधियां उचित समय पर आवंटित की जाएगी।

...3/-

(ङ.) और (च): अभी तक ऐसी कोई घटना की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, तथापि, विभाग ने देश भर में सभी राशन कार्डधारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के वितरण का विस्तार करने के बारे में जागरूकता पैदा करने और जनता को सूचित करने के लिए निम्नलिखित पहल की है।

i. टीवी चैनलों, एफएम चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के बारे में अखिल भारतीय जागरूकता अभियान चलाया गया है।
ii. सोशल मीडिया पर सूचना प्रसार के लिए पीएमजीकेएवाई के प्रचार-प्रसार हेतु लिए अंतर-विभागीय सहयोग की शुरुआत की गई है।
iii. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने 1000 ईंधन खुदरा दुकानों पर पीएमजीकेएवाई बैनर/होर्डिंग्स लगाया है।
iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाभार्थियों और एफपीएस डीलरों के मोबाइल नंबरों पर 6 करोड़ से अधिक एसएमएस भेजे गए हैं।
v. भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ओएनओआरसी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 15 कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

*****

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1821 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीकेएवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण- 30.11.2023 की स्थिति के अनुसार		
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्तमान लाभार्थियों का कवरेज (लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	268.22
2	अरुणाचल प्रदेश	8.40
3	असम	251.17
4	बिहार	871.16
5	छत्तीसगढ़	200.77
6	दिल्ली	72.78
7	गोवा	5.32
8	गुजरात	351.60
9	हरियाणा	126.49
10	हिमाचल प्रदेश	28.64
11	झारखंड	264.19
12	कर्नाटक	401.93
13	केरल	154.80
14	मध्य प्रदेश	534.79
15	महाराष्ट्र	700.17
16	मणिपुर	20.08
17	मेघालय	21.46
18	मिजोरम	6.83
19	नागालैंड	14.05
20	ओड़िशा	325.03
21	पंजाब	141.51
22	राजस्थान	440.01
23	सिक्किम	3.81
24	तमिलनाडु	364.12
25	तेलंगाना	191.62
26	त्रिपुरा	24.43
27	उत्तर प्रदेश	1503.77
28	उत्तराखंड	61.94
29	पश्चिम बंगाल	601.84
30	अंडमान एवं निकोबार	0.61
31	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.69
32	लक्षद्वीप	0.22
33	चंडीगढ (डीबीटी)	2.99
34	पुद्दुचेरी (डीबीटी)	6.34
35	जम्मू और कश्मीर	72.41
36	लद्दाख	1.44
कुल		**8047.64**

*****

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 13.12.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 1821 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कोविड-19 महामारी के दौरान पीएमजीकेएवाई के तहत डीएफपीडी द्वारा डीसीपी राज्यों को जारी किए गए निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**पीएमजीकेएवाई 2020-21**	**पीएमजीकेएवाई 2021-22**	**पीएमजीकेएवाई 2022-23**	**चरण-I से VII के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत जारी कुल धनराशि**
1	आंध्र प्रदेश	2764.05	3248.92	1027.02	7039.99
2	बिहार	737.37	2773.64	5443.15	8954.16
3	छत्तीसगढ़	2367.03	2438.53	2923.43	7728.99
4	गुजरात	-	7.13	22.34	29.47
5	मध्य प्रदेश	3202.55	5084.52	5181.35	13468.42
6	महाराष्ट्र	981.60	870.45	1298.51	3150.56
7	ओड़िशा	2964.20	2670.98	2422.25	8057.43
8	पंजाब	63.06	-	-	63.06
9	तेलंगाना	2357.64	1296.51	2551.87	6206.02
10	उत्तराखंड	492.97	301.29	434.92	1229.18
11	तमिलनाडु	-	-	**139.07**	**139.07**
12	पश्चिम बंगाल	-	-	**1695.28**	**1695.28**
	कुल	**15930.47**	**18691.97**	**23139.19**	**57761.63**

*****